जघन्य हत्याकांड मामले में रामजग बिंद को मिली सजा-ए-मौत

सिंगरौली । न्यायालय द्वारा आज जघन्य कांड के एक दोषी को मौत की सजा सुना दी गई है। दोषी इतना बर्बर था कि उसने बीते दशक में कुल 7 हत्याओं को अंजाम दिया था। प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 1997 में 5 लोगों की हत्या के मामले में जमानत पर निकले रामजग बिंद पिता रमाशंकर बिंद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कुशवई थाना मोरवा ने वर्ष 2014 में ही 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कुशवई निवासी उडगंद बिंद पिता स्वर्गीय रूपनारायण बिंद एवं शांति बिंद पत्नी उडगंद बिंद की हत्या कर दोनों के शवों को कुएं में फेंक दिया था। जिसकी सूचना लगते ही मोरवा पुलिस ने सघन जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि दोनों मृतक बीते हत्याकांड में गवाह थे। जिस कारण हत्यारे ने इन्हें बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया था। इस जघन्ह हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी रामजग बिंदु को दो बार मृत्युदंड का फैसला सुनाया है।